FORM-II

(For projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2022- 1572 Dated: 29-12-2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **00-09-60 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Municipal Council Theog, District Shimla, for the construction of Solid Waste Management Plant, Theog (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mohal Jungle Rohru, Tehsil Theog & District Shimla Himachal Pradesh.

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-09-60 Hectares,** of forest area proposed for diversion..

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.

(c) Each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/process under FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.

(d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA.

(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla

ANNEXURE-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा चिखड़ (जंगल रोहरू (बरेल्टी)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 02/05/22

वन अधिकार समिति ग्राम सभा जंगल रोहरू (बरेल्टी) की बैठक आज दिनांक 02/05/2022 को 11.00am बजे, स्थान बरेल्टी में श्री / ~~श्रीमति~~ प्रेम सिंह ...... की अध्यक्षता में की गई जिसमें जंगल रोहरू (बरेल्टी) गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत D52 (रोहरू) जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर परिषद् ठियोग विभाग द्वारा ठोस व तरल कूड़ा प्रबन्धन के निर्माण के लिए .... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क0 सं0	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	प्रेम सिंह	D52 (रोहरू)	चराई
2.	अनु		
3.	काशी राम		
4.	किशोर		
5.			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।
उपरोक्त में से निम्न निखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :–

क0 सं0	पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	—
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

D52 (रोहरू) जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

Prem Singh.

सचिव
वन अधिकार समिति
गांव बरेल्टी, ठियोग जिला शिमला
जंगल रोहरू

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
प्रधान
ग्राम सभा बरेल्टी
वन अधिकार समिति
गांव बरेल्टी, ठियोग जिला शिमला

- ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके निए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

ANNEXURE-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा (चिखड़)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 7.

दिनांक 03/05/2022

ग्राम सभा चिखड़ की बैठक आज दिनांक 03/05/2022 को 11.00 am बजे, स्थान चिखड़ वन अधिकार समिति (बरेल्टी) में श्री / श्रीमति सुनील शर्मा की अध्यक्षता में की गई जिसमें .... गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत D52 जंगल रोहरू जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर परिषद ठियोग .... हैक्टेयर वन .. विभाग द्वारा ठोस व तरल कूड़ा प्रबन्धन के निर्माण के लिए भुमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क0 सं0	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	प्रेम सिंह	D52 (रोहरू)	चराई
2.	अनु		
3.	काशी राम किशोर		

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नयमानुसार सही नहीं पाया गया :–

क0 सं0	पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	—
3.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार D52 (रोहरू) जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा........

(Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत चिखड़, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला)

स्थान चिखड़

दिनांक 03/05/2022

- ❖ ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के आवेदन किया है।
- ❖ प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि उपयोग की अनुमति दी जानी है

सचिव
वन अधिकार समिति
गांव बरेल्टी, ठियोग जिला शिमला

प्रधान
वन अधिकार समिति
गांव बरेल्टी, ठियोग जिला शिमला

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Chikhad
Dev. Block Theog Shimla, H.P.

Annexture-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा (चिखड)

विकास खण्ड ठियोग जिला शिमला हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 7. दिनांक 03/05/2022

गणपूर्ति 75 / 140.

विषय : नगर परिषद् ठियोग विभाग / संस्था को ठोस व तरल कुड़ा प्रवन्धन के निर्माण हेतू 0.52 (जगंल रोहरू) जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित .... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा चिखड (जगंल रोहरू (बरेल्टी)) की बैठक आज दिनांक 03/05/2022 को 11.00 am बजे, स्थान चिखड में की गई, जिसमें नगर परिषद् ठियोग विभाग / संस्था को ठोस व तरल कुड़ा प्रवन्धन के निर्माण हेतू चिखड जंगल / वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई नथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है तथा प्रस्तावित .... हैक्टेयर वन भूमि को ठोस व तरल कुडा प्रवन्धन निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा चिखड (जगंल रोहरू बरेल्टी) की सहमति दी जाती है।

स्थान चिखड

दिनांक 03/05/2022.

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Chikhad
Dev. Block Theog Shimla, H.P.

कार्यालय ग्राम पंचायत चिखड़

विकास खण्ड व तह0 ठियोग, जिला शिमला-हि0प्र0।

क्रमांक............ दिनांक 04-05-2022

विषयः- अनापति प्रमापत्र देने बारे।

आज दिनांक 04-05-2020 ग्राम पंचायत चिखड़ के वार्ड न० 3 भोट बरेलटी में एक आम बैठक हुई इस बैठक में इस वार्ड के 140 जन संख्या में से लगभग 75 लोगों ने भाग लीया इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित वार्ड में ग्राम पंचायत चिखड़ के अन्तर्गत जंगल रोहरू में नगरपरिषद ठियोग ठोस व तरल कुड़ा प्रवन्धन का पलांट लगाना चाहती है जिसके विषय में गांव भोट बरेलटी ग्राम पंचायत चिखड़ से सिफारिश की गई थी।

इस उपरोक्त विषय के उपर सम्बन्धित वार्ड के सदस्य ने निर्णय लिया कि यह पलांट लगना जरूरी है परन्तु इस पलांट के लगने से ग्राम पंचायत चिखड़ के जल स्त्रोत दूषित न हो इसका खास ध्यान रखा जाए इसके उपरान्त इस विषय पर सभी ग्रामवासीयों ने निर्णय लिया कि नगर परिषद ठियोग को यह पलांट लगाने की अनुमति सम्बन्धित विभाग प्रदान करे इसमें ग्रामवासीयों को काई अनापति नही है।

प्रधान ग्राम पंचायत चिखड़
विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला